

कथनी और करनी में विसंगति की समस्या

डॉ. राजवीरसिंह शेखावत

अध्यक्ष

दर्शन-विभाग

महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय,
भरतपुर (राज.) 321001

सिद्धान्त और कर्म (सिद्धान्त के अनुरूप आचरण या व्यवहार) का एक बड़ा क्षेत्र कथनी और करनी का है। सिद्धान्त के अनुसार कथनी और करनी में संगति होनी चाहिए, और कथनी में सिद्धान्ततः यह अपेक्षित होता है कि वह 'सत्य' हो, अर्थात् वचन सत्य हो और आचरण वचन के अनुरूप। इस प्रकार कथनी और करनी में दो समस्याएँ हैं। पहली, असत्य वचन की और दूसरी, कथनी और करनी में विसंगति की। ये समस्या इसलिए है कि इनके कारण व्यक्ति, समाज और राष्ट्र विखण्डित होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति से प्रत्येक व्यक्ति की यह अपेक्षा होती है कि वह सत्य बोले तथा उसके अनुरूप ही आचरण करे। परन्तु व्यवहार में हम देखते हैं कि व्यक्ति असत्य वचन बोलता भी है और बोले हुए सत्य वचन के अनुरूप आचरण भी नहीं करता है। अतः यहाँ प्रश्न उठता है कि कथनी और करनी में जो विसंगति है उसका कारण क्या है और ऐसी कौन-कौन सी अवस्थाएँ हैं जिनमें ये विसंगति होती है जिसे हम अनुचित कर सकें। यहाँ हम पहले दूसरे प्रश्न को लेंगे, फिर पहले प्रश्न को। यहाँ हम कथनी और करनी की विसंगति के कुछ उदाहरण लें जिससे शायद बात अधिक स्पष्ट हो सकेगी। उदाहरण के रूप में, पहले, यदि कोई व्यक्ति दूसरों को कहे कि शराब नहीं पीनी चाहिए; क्योंकि यह हानिकारक है, किन्तु कहने वाला व्यक्ति स्वयं शराब पीता है, अथवा कोई व्यक्ति दूसरों से कहे कि सदैव सत्य बोलना चाहिए, किन्तु वह स्वयं असत्य बोलता है। ये दोनों उदाहरण कथनी और करनी की विसंगति के हैं। इनको अनुचित नहीं कह सकते। अब, एक संगति का उदाहरण लें जिसे हम उचित नहीं कर सकते। यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है और दूसरों को भी चोरी करने की शिक्षा देता है। इस कथनी और करनी में अनुरूपता या संगति तो है किन्तु इसे उचित नहीं कह सकते। एक अन्य उदाहरण लें, किसी अधिकारी ने अधीनस्थ कर्मचारी को कोई कार्य निश्चित समय में करने को दिया और उस कर्मचारी ने निश्चित समय में कार्य करने की अपनी सहमति दे दी। परन्तु उस कर्मचारी ने निश्चित समय में कार्य करके नहीं दिया। ऐसी स्थितियाँ अनेक बार आयीं हैं। यही कर्मचारी अपने सहकर्मचारी से कुछ रुपए उधार लेता है और दस दिन बाद लौटाने की बात कह देता है, किन्तु दस दिन बाद उसने रुपए नहीं लौटाए। रुपए माँगने पर उसने पाँच दिन बाद लौटाने की बात कह दी, किन्तु पाँच दिन बाद भी रुपए नहीं लौटाए। ऐसा ही व्यवहार वह अन्य सहकर्मचारियों के साथ भी कर चुका होता है। इस व्यक्ति की कथनी और करनी में विसंगति है और अनुचित भी है। इस उदाहरण का ध्यान से विश्लेषण करें तब ज्ञात होता है कि यहाँ **वचनबद्धता** बाधित हो रही है तथा वह व्यक्ति खण्डित व्यक्तित्व है जो विश्वासपात्र नहीं है, अपने दायित्वों को नहीं निभा रहा है। वह आदतन ऐसा ही है।

ऐसे व्यवहार की पुनरावृत्ति करता रहता है। यहाँ प्रश्न है वह ऐसा आचरण क्यों करता है? इसके अनेक कारण हो सकते हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण है **जीवन के प्रति दृष्टिकोण** और **जीवन का लक्ष्य**। दृष्टिकोण की तीन स्थितियाँ हो सकती हैं; पहले, कोई दृष्टिकोण ही नहीं हो, दूसरे, भौतिकवादी दृष्टिकोण हो सकता है और तीसरे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अधिकांश व्यक्तियों का न तो जीवन के प्रति कोई दृष्टिकोण होता है और न ही जीवन का कोई लक्ष्य या उद्देश्य। ऐसे व्यक्तियों की कथनी और करनी में संगति हो, अनिवार्य नहीं है, क्योंकि इनमें वचनबद्धता का भाव नहीं होता। इसलिए ऐसे में कथनी और करनी की विसंगति सदैव रहती है। भौतिकवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति की कथनी और करनी में एक सीमा तक संगति होती है; क्योंकि उसका एक भौतिक उपलब्धि का लक्ष्य होता है और वह उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। अतः वह दूसरों के प्रति **वचनबद्धता** के सापेक्ष मूल्य को तो जानता है, किन्तु वचनबद्धता का अक्षरशः पालन नहीं कर, आंशिक पालन करता है और वचनबद्धता के पालन का प्रदर्शन शत-प्रतिशत। ऐसे व्यक्तियों की कथनी और करनी की विसंगति व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए हानिकारक होती है। ये ही वे व्यक्ति हैं जो व्यक्ति और समाज का सबसे अधिक शोषण करते हैं। तीसरा दृष्टिकोण है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक दृष्टिकोण के व्यक्ति **वचनबद्धता** के निरपेक्ष मूल्य को जानते हैं। इस दृष्टिकोण के व्यक्तियों की कथनी और करनी में या तो संगति होती है या ये व्यक्ति कथनी के अनुरूप कर्म करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। इनका ध्येय कथनी के अनुरूप कर्म करना ही होता है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण के व्यक्तियों की कथनी और करनी में संगति अधिक होती है। ये मूल्यों को जीते हैं। उनका आचरण करते हैं और उनके अचरण की समाज या अन्य व्यक्ति को शिक्षा देते हैं। समाज एवं अन्य व्यक्तियों के लिए त्याग करते हैं और समाज में एक उदाहरण बन कर रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की कथनी और करनी में जहाँ विसंगति दिखाई देती है उसके लिए ये स्वयं उत्तरदायी नहीं होते हैं बल्कि समाज एवं अन्य व्यक्तियों का उनके प्रति व्यवहार के कारण ऐसा होता है।

यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सामान्यतः देखा जाता है कि जिस व्यक्ति की कथनी और करनी अलग-अलग होती है, समाज में वे लोग प्रतिष्ठित होते हैं, भौतिक प्रगति करते हैं और समाज के लोग उन्हीं के झँसे में आते हैं तथा धोखा खाते रहते हैं। ऐसा क्यों? इस प्रश्न का जबाब इस प्रश्न के जबाब में निहित है कि धोखा खाने वाले व्यक्ति कौन हैं? ये मुख्यतः तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं - अभावग्रस्त, महत्वाकांक्षी और स्वार्थी। इस प्रकार व्यक्ति अभावों, आवश्यकताओं और हित की पूर्ति के लिए धोखा खाते रहते हैं और असामाजिक शक्तियों को शक्ति प्रदान करते रहते हैं।

एक अन्य स्थिति लें, यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तब क्या यह कह सकते हैं कि उसकी कथनी और करनी में विसंगति है और अनुचित है? इसकी मुख्य तीन स्थितियाँ हैं, पहले, एक व्यक्ति स्वयं किसी कर्तव्य का पालन नहीं करता है किन्तु दूसरों से कर्तव्य-पालन की अपेक्षा रखता है। दूसरे, कोई व्यक्ति न तो स्वयं किसी कर्तव्य का पालन करता है और न ही अन्य व्यक्तियों से कर्तव्य-पालन की अपेक्षा रखता है।

और तीसरे, एक व्यक्ति स्वयं किसी कर्तव्य का पालन नहीं करता है किन्तु दूसरों को कर्तव्य-पालन के लिए प्रेरित करता है। पहली स्थिति विसंगत और अनुचित दोनों ही है। दूसरी स्थिति संगत तो है किन्तु अनुचित है। और तीसरी स्थिति विसंगत है किन्तु अनुचित नहीं।

कथनी और करनी के सन्दर्भ में एक अन्य प्रश्न यह विचारणीय है कि कथनी और करनी में अनुरूपता या संगति हो इसमें *परिस्थितियों* एवं *संसाधनों* की क्या भूमिका होती है? कहा जा सकता है कि विभिन्न सन्दर्भों में परिस्थितियों और संसाधनों की अहं भूमिका हो सकती है। किन्तु महत्त्व इस बात का है कि, कोई व्यक्ति या संस्था वचनबद्धता के अनुरूप सच में कर्म करना चाहते हैं अथवा नहीं। दूसरी उनकी वचनबद्धता और कर्म में विसंगति की पुनरावृत्ति कितनी है। ध्यान देने की बात यह है कि किसी व्यक्ति या संस्था के जीवनकाल में कथनी और करनी सदैव एक जैसी हो यह सम्भव नहीं। अनेक बार विभिन्न विपरीत परिस्थितियों अथवा संसाधनों के अभाव में वचनबद्धता और कर्म में अर्थात् कथनी और करनी में विसंगतियाँ होती रहती हैं किन्तु इनकी पुनरावृत्ति नहीं के बराबर होती है। अतः कहा जा सकता है कि जहाँ व्यक्ति या संस्था अपनी वचनबद्धता के अनुरूप कर्म करने का भाव सच में रखते हैं और इसके लिए प्रयास भी करते हैं, परन्तु विपरीत परिस्थिति या कारणवश वचनबद्धता के अनुरूप कर्म नहीं कर पाए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति भी न्यून है। तब उनकी कथनी और करनी को विसंगत नहीं कह सकते।

उपर्युक्त चर्चा में कथनी और करनी की विसंगति की छः स्थितियाँ सामने आयी हैं। ये स्थितियाँ हैं, पहले, कथनी और करनी में विसंगति है और अनुचित है। दूसरे, कथनी और करनी में विसंगति है किन्तु अनुचित नहीं है। तीसरे, कथनी और करनी में संगति है किन्तु अनुचित है। चौथे, कथनी और करनी में संगति है और उचित है। पाँचवे, कथनी और करनी दोनों ही नहीं, इसलिए अनुचित है। छठवें, कथनी और करनी में विसंगति है किन्तु निर्दोष। इन स्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि कथनी और करनी की विसंगति के बारे में कोई निरपेक्ष मत स्थापित नहीं किया जा सकता। इसकी चर्चा सन्दर्भ-विशेष, परिस्थिति-विशेष, व्यक्ति या संस्था-विशेष, काल-विशेष तथा घटना-विशेष के सन्दर्भ में सोपक्ष रूप से ही की जा सकती है और की जानी चाहिए।

* * * * *